



कार्यालय प्राचार्य, रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय, दल्गावाला, खानपुर (हरिद्वार)

दिनांक: 17.05.2022

## वैधानिक वैतावनी

महाविद्यालय परिसर एवं उसकी 100मीटर की परिधि में तम्बाकू गुटखा, बीड़ी, सिगरेट व नशीले पदार्थों आदि का सेवन संज्ञेय अपराध है तथा दण्डनीय है।

  
कार्यक्रम संयोजक नशा मुक्ति  
रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय  
दल्गावाला, खानपुर (हरिद्वार)

  
प्राचार्य 17.05.22  
रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय  
दल्गावाला, खानपुर (हरिद्वार)